तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी
5/12	पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त 01 की बाद वादित अभियुक्त/अभियुक्त 01 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वादित पत्नी ने निवेदन किया की उसके खाते जायज व नाजायज की शर्त के साथ संयुक्त होने के आदेश दिए कि वाद की स्थिति रहती है। अतः पत्रावली सरसरी पढ़ी। उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्नी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तामीलदार Bailiff को 500/- रुपये मौका कमिश्नर फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। व आदेश दिया जाता है कि वाद वर्णित शर्त रु. 1/35 रुपया सुविधा के रूप में जायदाद का निशानदेही कर तामीलात कर सरसरी कराकर पत्रावली के साथ शुक्रवार होने पर के कक्ष हो तथा सहित हो।

Ruby
उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)